

वै व उसके दकोत उपस्थित/विपक्षी उपस्थित/
प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करने
दोनों सहमत है। अतः प्रकरण लोक अदालत
में रेफर दि जाता है। पक्षरान दिनांक 20/6/17
को लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहें।

30/6/17

पगावली आज राज स्व लोक अदालत" व्याप
आपने हार " अविधान में चेरी वाहीगवा
वाह में आगे बोर कारवली नही बाहल है
अतः वाहीगवा के लिये हार पर प्रडालनी
कारवली रही हार पर डाय भी जारी है
पगावली सिरील हार सत्या से डम ली
निरीय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला, उदयपुर

लेडीएम

शेकर

विशाल

शेवाशकर

गोबिंद